न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमति लीला गुप्ता पत्नि डॉक्टर सुरेश गुप्ता, जाति अग्रवाल, निवासी रिको कॉलोनी, आबूरोड (प्रार्थीया अधि. श्री अविनाश शर्मा)		श्री सुरेश गुप्ता पुत्र नवनीत गुप्ता, जाति अग्रवाल, निवासी रिको कॉलोनी, आबूरोड व अन्य – 2

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 3/2025
दिनांक 30.6.2025

निर्णय

यह कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम पांडुरी, पटवार हल्का किवरली, तहसील देलदर में प्रार्थीया तथा अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं अधिकार की कृषि भूमि खसरा नंबर 356 रकबा 1.4668 हैक्टेयर आई हुई है। यह कि उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं प्रार्थीया के पुत्र स्व. सौरभ गुप्ता का 1/2 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। यह कि प्रार्थीया पेशे से चिकित्सक है तथा उसने स्वयं की कमाई से अपने तत्समय नाबालिग पुत्र सौरभ गुप्ता के नाम से उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 29.06.1989 के माध्यम से खरीदा था, सौरभ गुप्ता की उस समय आयु 10 वर्ष थी तथा उसकी कोई स्वतंत्र आय नही थी। यह कि प्रार्थीया के पुत्र सौरभ गुप्ता की दिनांक 08.08.2013 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के उपरांत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार उसकी माता होने के नाते प्रार्थीया उसकी प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में नाबालिग सौरभ के नाम के स्थान पर स्वयं का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज कराने की अधिकारिणी है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 मृतक सौरभ की पत्नी थी तथा वह प्रार्थीया के पुत्र की मृत्यु के बाद प्रार्थीया तथा उसके पति को झूठे केसो में फंसाकर उक्त सौरभ की कुल 15 बीमा पॉलिसियों की राशि रूपये 16,41,000/– प्राप्त कर चली गई थी तथा वर्ष 2014 से आज दिन तक अप्रार्थी संख्या 2 का प्रार्थीया अथवा उसके परिवार से कोई सरोकार नही है, न ही पिछले 11 वर्षो के दौरान प्रार्थीया ने उक्त अप्रार्थी संख्या 2 के बारे में कुछ सुना है, ऐसी स्थिति में उक्त अप्रार्थी संख्या 2 का प्रार्थीया के परिवार से कोई सरोकार नही रहा है, न ही उसका विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा बनता है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 जो कि प्रार्थीया का पति है तथा पिछले कुछ दिनों से प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य आपसी पारिवारिक मतभेद चल रहा है, प्रार्थीया को हाल ही में जानकारी हुई है कि जिसके चलते अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को बिना विभाजन कराये स्वयं की होना बताते हुए अन्य व्यक्ति को विक्रय करने हेतु आमादा है, जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण द्वारा इस वाद में वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भी भूभाग का विक्रय/हस्तांतरण, बिना विभाजन कराये नही करने, उक्त भूमि की प्रकृति को परिवर्तित नही करने तथा उक्त उक्त भूमि में प्रार्थीया द्वारा किये जा रहे काश्त कार्य में किसी प्रकार की बाधा या व्यवधान कारित नही करने, न ही उक्त प्रकृति का कोई कार्य उनके किसी नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि आदि के माध्यम से कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

हमने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित [illegible] 25 को उनका जवाब बंद कर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश किये गये। [illegible] की ओर से जवाब में अं[illegible] कि मौजा ग्राम पाण्डुरी के वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 42 खसरा संख्या 356 रकबा 1.4668 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 की भूमि डॉ. सुरेश गुप्ता पुत्र नवनीतराय गुप्ता हिस्सा 1/2 जाति अग्रवाल एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.09.16 11:17:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

नाबालिग सौरभ गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता संरक्षक सुरेश गुप्ता हिस्सा 1/2 जाति अग्रवाल सा. आबूरोड़ के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है।

हमने एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार मौजा ग्राम पांडुरी , पटवार हल्का किवरली, तहसील देलदर में खसरा नंबर 356 रकबा 1.4668 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 की कृषि भूमि स्थित है।

हमारे सामने 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते आवश्यक है:—

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :— मौजा ग्राम पांडुरी , पटवार हल्का किवरली, तहसील देलदर में खसरा नंबर 356 रकबा 1.4668 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 की भूमि डॉ. सुरेश गुप्ता पुत्र नवनीतराय गुप्ता हिस्सा 1/2 जाति अग्रवाल एवं नाबालिग सौरभ गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता संरक्षक सुरेश गुप्ता हिस्सा 1/2 जाति अग्रवाल सा. आबूरोड़ के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। चूंकि सौरभ गुप्ता की मृत्यु हो गई है एवं प्रार्थीया सौरभ गुप्ता की माता है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया अपने पक्ष में साबित करने में आंशिक सफल रही।
2. सुविधा का संतुलन :— मौजा ग्राम पांडुरी , पटवार हल्का किवरली, तहसील देलदर में खसरा नंबर 356 रकबा 1.4668 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 की भूमि डॉ. सुरेश गुप्ता पुत्र नवनीतराय गुप्ता हिस्सा 1/2 जाति अग्रवाल एवं नाबालिग सौरभ गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता संरक्षक सुरेश गुप्ता हिस्सा 1/2 जाति अग्रवाल सा. आबूरोड़ के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। चूंकि सौरभ गुप्ता की मृत्यु हो गई है एवं प्रार्थीया नाबालिग सौरभ गुप्ता की माता है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीया अपने पक्ष में साबित करने में आंशिक सफल रही।
3. अपूर्तनीय क्षति :— चूंकि वर्तमान में उक्त विवादित कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व नाबालिग सौरभ गुप्ता की संयुक्त खातेदारी है। तथा सौरभ गुप्ता की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थीगण से हो यह साबित में प्रार्थीया आंशिक सफल रही।

अतः प्रार्थीया 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में आंशिक सफल रहने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. परिपोषनीय होने से आंशिक स्वीकार योग्य है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में सफल रहने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. परिपोषनीय होने से आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ताफैसला मूलवाद तक वे विवादित भूमि में से सौरभ गुप्ता के हक हिस्से का बेचान, हस्तांतरण व उक्त भूमि की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही करें जबकि अपने हिस्से का बेचान करने हेतु उन्हे कोई रोक नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/6/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.09.16 11:17:24 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
आबूपर्वत (सिरोही)